

भारत सरकार की योजनान्तर्गत राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का आवेदन-पत्र (वर्ष 200 –200)

- नोट :-
1. अन्य कोई छात्रवृत्ति प्राप्त करने की स्थिति में यह छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
 2. छात्रवृत्ति हेतु पूर्व में निर्धारित आवेदन पत्र भी मान्य होंगे।
 3. आवेदन पत्र संस्था प्रधान के माध्यम से जमा कराया जावे।
 4. छात्रवृत्ति आवेदन पत्र की फोटो प्रति भी मान्य होगी।

भाग "क" (छात्र/छात्रा द्वारा भरा जावे)

सेवा में,

.....
.....

पासपोर्ट साइज का इसी वर्ष लिया गया फोटो यहां चिपकाएं एवं संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित करायें।

1. प्रार्थी का पूरा नाम : श्री/श्रीमती/कुमारी
2. पिता/पति का नाम : श्री
3. अनुसूचित जाति/ अनु. जनजाति/ अन्य पिछड़ी जाति : उप जाति नागरिकता
4. स्थाई निवास स्थान का पूरा पता :
5. अध्ययन के लिये पिता/माता/संरक्षक/ पति अथवा स्वयं में से खर्च वहन करने वाले का विवरण दें : नाम सम्बन्ध व्यवसाय वार्षिक आय
6. किस कोर्स एवं कक्षा के लिये छात्रवृत्ति चाही गई है (क) शैक्षणिक संस्था का नाम (ख) कक्षा कोर्स (ग) प्रवेश की तिथि
7. नाम छात्रावास एवं पूरा पता :
- प्रवेश लेने की तिथि
8. प्रमाण पत्र (डाक्यूमेन्ट्स) जो संलग्न किये जाने हैं :-
 - (1) जाति प्रमाण पत्र (तहसीलदार या ऊपर के स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ)।
 - (2) आय प्रमाण पत्र (तहसीलदार या ऊपर के स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ) यदि पिता/संरक्षक राजकीय/निजी क्षेत्र में कार्यरत हों तो नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।
 - (3) गत परीक्षा की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति।
 - (4) फीस की रसीद की मूल प्रति।

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य सही है। मैंने एक सत्र में एक ही छात्रवृत्ति के लिये आवेदन किया है। यदि गलत प्रकार से मैंने छात्रवृत्ति ली हो तो मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर प्रार्थी

.....

भाग "ख" (शिक्षा संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा भरा जाये)

1. प्रार्थी के अध्ययन का कोर्स एवं कक्षा : कोर्स
कक्षा
2. वापिस नहीं लौटाये जाने वाले अनिवार्य शुल्क (होस्टल किराये एवं विकास कार्य हेतु चार्ज के अलावा) और अन्य प्रभारी खर्चे (अदर इन्सीडेण्टल चार्ज) जो प्रार्थी द्वारा चालू सत्र से तक जमा कराये जाने हैं का विवरण (यदि शुल्क में छूट प्रदान की गई हो तो राशि का भुगतान न किया जाये) फीस की मूल रसीद संलग्न करें।

शुल्क विवरण	वास्तविक राशि जो प्रार्थी	विशेष विवरण
1. शिक्षण शुल्क		
2. परीक्षा शुल्क (विश्वविद्यालय एवं स्थानीय)		
3. क्रीड़ा शुल्क		
4. पुस्तकालय/ वाचनालय एवं मैग्जीन शुल्क		
5. चिकित्सा शुल्क		
6. कॉलेज यूनियन शुल्क आदि		
7.		
8.		

योग :-

3. यदि छात्र/छात्रा छात्रावास में रहता है/
रहती है और उसे निःशुल्क आवास/ निःशुल्क भोजन की सुविधा दी गई हो, तो उसका विवरण दें
4. स्वीकृत छात्रवृत्ति की राशि को वितरित करने वाले अधिकारी का पद एवं पता
5. यह प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था विश्वविद्यालय/बोर्ड से सम्बन्धित एवं भारत सरकार/राज्य सरकार (राजस्थान) द्वारा मान्यता प्राप्त है। प्रार्थी इस संस्था में की कक्षा में अध्ययन कर रहा है।

छात्रवृत्ति की राशि का नियमानुसार विवरण एवं हिसाब-किताब रखा जाकर सम्बन्धित स्वीकृतकर्ता अधिकारी को भिजवाया जायेगा। बीच सत्र में अध्ययन छोड़ने वाले एवं अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले प्रार्थी की छात्रवृत्ति बन्द कर दी जायेगी। अवितरित राशि राज्य के खाते में जमा करा दी जायेगी।

संस्था प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर

क्रमांक :

नाम

स्थान :

पद

दिनांक :

पता

नोट :

1. विश्वविद्यालयों एवं उनसे मान्यता प्राप्त समस्त निजी महाविद्यालयों के छात्रों के आवेदन पत्र संस्था प्रधान के माध्यम से सम्बन्धित जिले के समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किये जायेंगे।
2. राजकीय महाविद्यालयों के आवेदन पत्र प्रधानाचार्य को सम्बोधित किये जायेंगे।
3. राज्य से बाहर अन्य राज्यों में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के आवेदन पत्र, संस्था प्रधान के माध्यम से संबंधित जिले के जिला अधिकारी, समाज कल्याण विभाग को प्रेषित किये जायेंगे।